गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

पत्रांक–4/नि0गै0यो0छात्र0 181–02/2007– 90

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीर चन्द पटेल मार्ग,
पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक 13.02.17

विषय: **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुसूचित जाति के अस्वच्छ कार्य में लगे परिवारों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में ₹40.00 लाख (चालीस लाख रू0), अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** मद **में ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रू0), मुसहर/भुइयाँ जाति के बच्चों के लिए ₹ 240.00 लाख (** दो **करोड़ चालीस लाख रू0) एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में ₹20.00** बीस **लाख अर्थात् कुल ₹ 1600.00 लाख (सौलह करोड़) मात्र की स्वीकृति।**

आदेश–स्वीकृत

वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना के बजट प्रावधान के अनुसार विषय शीर्षवार निम्न प्रकार स्वीकृति दी जाती है।

(रूपये लाख में)

क्र0	मद का नाम	विषय शीर्ष का विवरण	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
(क) 1.	अनुसूचित जाति	विषय शीर्ष–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा	अस्वच्छ कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति।	197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता।	N2225011970001	15.00
				277–शिक्षा	N2225012770007	25.00
			अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	N2225012770007	1300.00
(ख) 1.		विषय शीर्ष–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा	मुसहर/भुइंया छात्रवृत्ति	197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता	N2225011970002	15.00
2.				198–ग्राम पंचायतों को सहायता	N2225011980001	50.00
3.		विषय शीर्ष–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा	मुसहर छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	N2225012770007	175.00
(ग) 1.	अनुसूचित जनजाति	विषय शीर्ष–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा	अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277–शिक्षा	N2225022770001	20.00
				कुल		1600.00

(सोलह करोड़ रू0) मात्र

3– (i) कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के गैर योजना **मांग संख्या–44** के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–**01–अनुसूचित जातियों का कल्याण** के निम्नलिखित लधु/उपशीर्ष में भारित होंगे:–

(क) 197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0001–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा 3401–छात्रवृत्ति/वजीफा (विपत्र कोड–N2225011970001)

(ख) 197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0002–छात्रवृत्ति/वजीफा –3401 (विपत्र कोड–N2225011970002)

(ग) 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0001–प्रवेशिकोत्तर–शिक्षा–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा (विपत्र कोड–N2225011980001)

(घ) 277–शिक्षा–0007–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा (विपत्र कोड– N2225012770007)

(ii) कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के गैरयोजना **मांग सं0–44** के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–**02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण** के निम्नलिखित लधु/उपशीर्ष में भारित होंगे:–

(क) 277–शिक्षा –0001–छात्रवृत्तियां और वृत्तियां– 3401–छात्रवृत्ति/वजीफा (विपत्र कोड–N2225022770001)

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रृटिरहित छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे ।

6– इस योजना के तहत राशि का व्यय पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशा–निदेश के आलोक में विद्यालय छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक 16.05.2016 के आलोक में बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

प्री–मैट्रिक में जितने छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75 % एवं उससे ज्यादा हो, उसे पूर्व निर्धारित दर पर छात्रवृति दी जाए। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा–निदेश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर छात्रवार संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7– स्वीकृत की जा रही राशि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैरयोजना मद में बजट प्रावधान उपलब्ध है।

8– उन्हीं जिलों के द्वारा राशि व्यय की जायगी, जिन्होंने वर्ष 2015–16 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया है।

9– छात्रवृति की राशि बैंक में नही रखा जायगा एवं अवशेष राशि कोषागार में जमा कर दिया जायगा।

10– इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–4/नि0गै0यो0छात्र0181–02/2007–के पृ0– 100 /टि0 पर प्राप्त है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 13.2.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 4/नि0गै0यो0छात्र0181–02/2007– 90 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : (1) वित्त विभाग, बजट शाखा,, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, /सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(4) अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–5,(निदेशालय), सहायक निदेशक , अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग /सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.2.17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–4/नि0गै0यो0छात्र0181–02/2007– 90 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

13.2.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/नि0गै0यो0छात्र0181–02/2007– 90 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.17

सरकार के सचिव।